

**न्यायालय: देवेन्द्र साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, छ.ग.**  
**विविध आदेश**

कमांक-क्यू/सीजेएम/रि./2024

रायगढ़ दिनांक 02/05/2024

में देवेन्द्र साहू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ0ग0) धारा, 15(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय, रायगढ़ क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य माह मई-जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लिए निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ: -

श्रीमती नेहा यति मिश्रा न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री प्रवीण मिश्रा न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री देवाशीष ठाकुर न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़
17-06-2024	26-05-2024 15-06-2024	18-05-2024 23-06-2024
श्रीमती भावना नायक न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	कु. प्रीति न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री नीलेश जगदल्ला न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़
19-05-2024 30-06-2024	11-05-2024 08-06-2024	12-05-2024 09-06-2024
कु.शीतल निकुंज न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री सौरभ बारा न्या0 मजि0 प्रथम श्रेणी रायगढ़	
07-05-2024 02-06-2024	05-05-2024 16-06-2024	


**टीप:-(01)** उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 3:00 बजे से 5:00 बजे अपने न्यायालयीन स्टॉफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दायिद्वक कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते है या अवकाश लेते है, तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात् ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

**(02)** यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा।

**(03)** यदि माह मई -2024 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो इस दशा में श्री सौरभ बार, जेएमएफसी रायगढ़ और उनके अनुपस्थिति की दशा मे कु.

शीतल निकुंज जेएमएफसी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(04) यदि माह जून- 2024 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो इस दशा में श्री नीलेश जगदल्ला, जेएमएफसी रायगढ़ और उनके अनुपरिस्थिति की दशा में कु. प्रीति जेएमएफसी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

  
(देवेन्द्र साहू)  
02.05.2024  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायगढ़ (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक- क्यू./सीजेएम/2024


रायगढ़, दिनांक 02/05/2024

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/(एफटीसी)/(पाक्सो एक्ट) रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
02. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
03. श्रीमती नेहा यति मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
04. श्री प्रवीण मिश्रा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
05. श्री देवाशीष ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. श्रीमती भावना नायक, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. कु. शीतल निकुंज, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. श्री नीरज श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. कु. प्रीति, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. श्री नीलेश जगदल्ला, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. श्री सौरभ बारा, जे.एम.एफ.सी. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारंगढ़/खरसिया/घरघोड़ा/धरमजयगढ़ को सूचनार्थ।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को सूचनार्थ।
14. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. जिला अभियोजन अधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
16. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, रायगढ़ जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
17. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
18. प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ को सूचनार्थ।
19. सिस्टम आफिसर, रायगढ़ को सूचना प्रेषित करने हेतु।

स्थान- रायगढ़

दिनांक - 02/05/2024

  
(देवेन्द्र साहू)  
02.05.2024  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
रायगढ़ (छ.ग.)